

(1)

कार्यालय कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Telephone No. / Fax No. 07744-220814 E-mail ID fcrainandgaon@gmail.com

—: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन :—

क्रमांक ११/दो-12-1/2023

राजनांदगांव, दिनांक - 25.03.2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 24/04/2023 संध्या 5.00 बजे तक

न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के निवासियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम (तृतीय श्रेणी संवर्ग)	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी)																		
1	चीकीदार	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

संकेतक :- मु.-मुक्त, म.-महिला, दि.-दिव्यांग, भू.पू.सै.-भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीप :-

1. आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. सी. नंबर 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित किये गये आदेश के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय/आदेशों के अध्याधीन होगी।
2. माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू.पी.सी. नंबर 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में दिनांक 19.09.2022 को आदेश पारित करते हुये आरक्षण प्रतिशत (58%) को असंवैधानिक घोषित किया गया है। अतः उक्त पारित अद्यतन आदेश के परिपेक्ष्य में निर्धारित आरक्षण (50%) रखा गया है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

अ- वेतनमान :- कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा निर्धारित दर पर।

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला (कक्षा पांचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
2. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य चौकीदारी कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।
3. यदि किसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे ड्राईवर, इलेक्ट्रिशियन, फ्लम्बर एवं बढ़ई इत्यादि का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।

महत्वपूर्ण टीप :-

चौकीदार के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।

-: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

- (1) रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
- (2) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.04.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलावा अन्य किसी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 4(एक)(1)-** यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

(3)

- 4(एक)(2)—छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 4(एक)(3)—ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- स्पष्टीकरण:—छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।
- 4(एक)(4)—ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 4(एक)(5)—ऐसे महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 4(एक)(6)—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 4(एक)(7)—स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4(एक)(8)—विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 4(दो)(1)—आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के

क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4(दो)(2)– विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 1-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4(दो)(3)– उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 6 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप –

- (1) बिंदु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2) बिंदु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण – यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

- (5) यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- (7) आवेदन करने की तिथी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

(5)

- (8) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
- (9) आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
- (10) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, जो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा।
- (11) कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (12) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 24/04/2023 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम चौकीदार (आकस्मिकता निधि कर्मचारी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव (छ0ग0) के कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 24/04/2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के शासकीय वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/rajnandgaon> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
- (3) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसंस/पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- (4) ई-मेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- (5) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- (6) आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारीयों को अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि हों या आवेदन पत्र अपूर्ण हो तो त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

कक्षा 5वीं में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जिनमें से वरीयता के आधार पर रिक्त पदों के प्रथम 50 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जायेगा। उक्त पद के लिए प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जाएगा। कौशल परीक्षा 50 अंको की होगी।

—: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :—

कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर 5वीं में प्राप्त अंक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

—: महत्वपूर्ण निर्देश :—

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवार के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(7)

5. चयन प्रक्रिया के संबंध में न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव (छ.ग.) का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन किया जावेगा।
7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/rajnandgaon> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/rajnandgaon> तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेब साइट पर प्रकाशित की जायेगी।
12. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

राजनांदगांव—

दिनांक—25.03.2023

AA
5/3/2023

अध्यक्ष

चयन समिति,
कुटुंब न्यायालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (चौकीदार) के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

न्यायाधीश,
कुटुंब न्यायालय,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक
सहित

1. आवेदित पद का नाम :

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :

(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :

3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2

☐

4. पिता/पति का नाम :

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
(हिन्दी में) :

(ब) स्थाई पता :

6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)

--	--	--	--	--	--	--	--

(शब्दों में) :

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु :- वर्ष माह दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर :

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं

☐

(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(9)

// 2 //

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित
अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

12. रोजगार कार्यालय का नाम

13. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं

14. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

15. जीवित बच्चों की संख्या

क्र०	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप - प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम

संलग्न है/संलग्न नहीं।

1. 5वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र

.....

2. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र

.....

3. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र

.....

4. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण पत्र

.....

5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र

.....

6. अन्य -

.....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाईल नं.-

ई-मेल-

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव(छ.ग.)

-: प्रवेश पत्र :-

(आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (चौकीदार) के पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक
सहित

आवेदन का पंजीयन क्रमांक
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक

--

आवेदित पद का नाम :-

अभ्यर्थी का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

पति :-

(अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.ब.)

परीक्षा तिथि :-

समय :-

परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

कार्यालयीन उपयोग हेतु।

अध्यक्ष
चयन समिति
कुटुंब न्यायालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:-

- 1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/rajnandgaon> से प्राप्त करें।
- 3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेपर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावे।
- 5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

